इसे वेबसाईट www.govtpressinp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2025-माघ 25, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल,

दिनांक 14 फरवरी 2025

क्र.—3—3—4—0011—2024—Sec—02—पाँच(CT)(15).— मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) तथा (ज) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदुद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रारंभ.-
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विशेष मंदिरा नियम, 2024 है।
 - (2) ये नियम विशेष मदिरा के विनिर्माण, सम्मिश्रण, भण्डारण, आयात, निर्यात, परिवहन एवं विक्रय आदि पर तागू होंगे।
 - (3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.-
 - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915);
 - (ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
 - (ग) "अनुजापन प्राधिकारी" से अभिप्रेत है आबकारी आयुक्त, जो विशेष मंदिरा के लिए अनुजप्ति जारी करेगा;
 - (घ) "अनापति प्रमाण पत्र" से अभिष्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, आवश्यक फीस के भुगतान के पश्चात् जारी प्रमाण-पत्र, कि उन्हें कोई आपित नहीं है;
 - ं(इ.) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

- (च) "विशेष मदिरा" से अभिप्रेत हैं मिश्रण (ब्लेंडिंग) या न्यूनीकरण (रिडक्शन) के प्रयोजन के लिए विभिन्न शिक्तयों की हाई बुके स्पिरिट, केन जूस स्पिरिट, शेरी, ग्रेप स्पिरिट, माल्ट स्पिरिट, कन्सन्ट्रेटेड एल्कोहोलिक ब्रू, कन्सन्ट्रेटेड स्कॉच, किसी मदिरा का कन्सन्ट्रेटेड ब्लैण्ड तथा विशेष रूप से सुवासित (फ्लेवर्ड) अन्य स्पिरिट।
- (छ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य ।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जैसा कि अधिनियम, मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 एवं मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।
- विशेष मदिरा के विनिर्माण के लिए अनुजिप्त स्वीकृत किया जाना.-
 - (1) अनुज्ञप्ति प्रदेश के डी-1 अनुज्ञप्तिधारी को उसके आसवनी परिसर में पृथक से विशेष मदिरा के भण्डारण एवं मिश्रण करने हेतु प्रदान की जाएगी।
 - (2) विशेष मदिरा इकाई को स्थापित करने तथा चलाने का आशय रखने वाला व्यक्ति समस्त सुसंगत ब्यौरे देते हुए एक आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।
 - (3) उप-नियम (2) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ, अनुसूची-अ के अनुक्रमांक 1 अनुसार विहित दर पर आवेदन फीस साइबर ट्रेजरी में जमा किए जाने के प्रमाण स्वरूप रसीद प्रस्तुत की जाए।
 - (4) संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन का मानचित्र आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (5) आवेदक की प्रस्तावित स्कीम की वास्तविकता से आबकारी आयुक्त का समाधान हो जाने पर, वह अनुजण्ति प्रदान कर सकेंगे।
 - (6) आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञप्ति प्ररूप एस.एल.1 में जारी की जाएगी, जिसके लिए अनुज्ञप्ति फीस अनुसूची-अ के अनुक्रमांक 2 में यथा उल्लिखित विहित दर पर होगी, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी।

- (7) एस.एल.1 अनुज्ञप्तिधारी विशेष मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन एवं विक्रय आदि कर सकेगा।
- (8) एस.एल.1 अनुजिष्तिधारी विशेष मिदरा का उपयोग स्वयं हेतु करेगा अथवा अन्य विशेष/विदेशी मिदरा विनिर्माण इकाई को 1000 बल्क लीटर अथवा उससे अधिक मात्रा में उसे विक्रय करेगा।
- (9) इस अनुज्ञप्ति की अवधि डी-1 अनुज्ञप्ति की अवधि से अधिक नहीं होगी। इस अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता डी-1 अनुज्ञप्ति की वैधता से सम्बद्ध होगी अर्थात् डी-1 अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति स्वयमेव निलंबित या रद्द हो जाएगी।
- 4. विशेष मंदिरा तथा रेक्टिफाइड स्पिरिट/(ई.एन.ए.) की प्राप्ति (प्रक्योरमेंट) तथा अण्डारण:-
 - (1) एस.एल.1 अनुजिप्तधारी विशेष मदिरा तैयार करने के लिए नियम 7, 11 तथा 12 में विहित प्रक्रिया के अनुसार उसे आयात/परिवहन कर विशेष मदिरा तथा परिशोधित मदिरा (रेक्टिफाइड स्पिरिट)/ई.एन.ए. प्राप्त करेगा।
 - (2) सभी स्पिरिट कुंड एवं पात्र ऐसी गुणवता, आकार, आकृति एवं सामग्री के होंगे, जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित हों, वे यथोचित रूप से मापित होंगे और उनकी माप सारणी, प्राधिकृत आबकारी अधिकारी या मापतौल विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी। अनुजिष्तधारी मानकीकृत मापदण्ड (गेजिंग रॉड) आदि की व्यवस्था करेगा और ऊपर उल्लिखित कुंडों एवं पात्रों के मापन कार्य में सहायता करेगा। अमापित कुंडों एवं पात्रों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध है।
 - (3) प्रत्येक कुंड या पात्र पर उसका अनुक्रमांक, क्षमता और उसके उपयोग, स्पष्ट रूप से अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में पेंट से उल्लिखित किया जाएगा और उसके ब्यौरों को भारसाधक अधिकारी द्वारा समुचित रूप से रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा।

(4) भण्डारण कुंड ऐसे कमरे अथवा भवन में रखें जाएंगे जिसमें टूटने योग्य आपातकालीन निकास के अतिरिक्त केवल एक ही द्वार होगा। ऐसा कमरा या भवन स्पिरिट कक्ष अथवा भाण्डागार के नाम से निर्दिष्ट होगा तथा उसमें राजस्व ताला लगाया जाएगा।

5. गुणवत्ता नियंत्रण.-

- (1) विशेष मदिरा के विनिर्माण में प्रयुक्त समस्त स्पिरिट आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित या अन्मोदित मानक एवं ग्णवता के होंगे।
- (2) स्पिरिट का भंडारण करने, सम्मिश्रण करने तथा न्यूनीकरण करने के सभी पात्र स्वच्छ रखे जाएंगे। भंडारित स्पिरिट में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कोई भी संघटक उपयोग में नहीं लाया जाएगा, अथवा मिलाया नहीं जाएगा। स्पिरिट के सम्मिश्रण के समय उसको रंगने, सुरस, सुगंधित एवं सुरभित करने के कारक आदि अच्छी गुणवता के, मानव उपभोग के योग्य होंगे तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होंगे।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त परिसर में, अपनी निजी प्रयोगशाला स्थापित करेगा। ऐसी प्रयोगशाला उपकरणों से सुसज्जित होगी, जिसमें अर्हता प्राप्त तकनीकी ह्रियंक्ति होंगे तथा इस पर उपगत व्यय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा। विशेष मंदिरा की प्रत्येक खेप (बैच) के नमूने का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाएगा एवं परीक्षण रिपोर्ट ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। जब नमूने की विशेष मंदिरा मानव उपभोग के लिए उपयुक्त पाई जाए केंवल तभी खेप (बैच) जारी करने की अनुमति दी जाएगी. ऐसे प्रत्येक रासायनिक परीक्षण की रिपोर्ट की एक अभिप्रमाणित छायाप्रति भारसाधक अधिकारी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष मंदिरा विनिर्माण इकाई के भारसाधक अधिकारी के पर्यवेक्षण और उपस्थित में नमूनों को निकाला जाएगा।
- (4) (क) विशेष मदिरा विनिर्माण इकाई का भारसाधक अधिकारी, आबकारी आयुक्त का आदेश होने तक ऐसी विशेष मदिरा का, जिसे वह अच्छी गुणवता की नहीं समझता हो, जारी किया जाना रोक सकेगा और प्रत्येक ऐसे अवसर पर ऐसी विशेष मदिरा के नम्नों को विभागीय प्रयोगशाला अथवा अन्य

किसी प्राधिकृत प्रयोगशाला में अनुजिष्तिधारी के व्यय पर रासायनिक परीक्षण या जांच के लिए भेजने हेतु ले सकेगा।

- (ख) आबकारी आयुक्त विशेष मदिरा के यादृच्छिक (रेन्डम) नमूने लेने के संबंध में निर्देश भी दें सकेगा तथा भारसाधक अधिकारी, आबकारी आयुक्त द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार नमूने निकालेंगे और उन्हें विभागीय अथवा प्राधिकृत प्रयोगशाला में रासायनिक परीक्षण या जांच हेतु भेजेंगे।
- (ग) यदि रासायनिक परीक्षण या जांच किए जाने पर विशेष मदिरा अमानक स्तर की अथवा मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त पाई जाए, तो आबकारी आयुक्त या इस प्रयोजन के लिए उसके प्राधिकृत अधिकारी के आदेशों के अधीन, वह रदद् तथा नष्ट कर दी जाएगी अथवा अन्य किसी भी रीति से व्ययनित की जाएगी।

6. विशेष मदिरा का विक्रय.-

- (1) एस.एल.1 अनुज्ञिष्तिधारी विशेष मिदरा को 1000 बल्क लीटर अथवा इससे अधिक की मात्रा में प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में तथा देश के बाहर अन्य अनुज्ञिष्तिधारियों को आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विक्रय कर सकेगा।
- (2) अनुजण्ति की कालाविध और उसका नवीनीकरण:- प्ररूप एस.एल.1 की अनुजण्ति कालाविध एक वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित अनुजण्ति फीस के पूर्व भुगतान पर, जो समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी स्वीकृत की जा सकेगी। यह अनुजण्ति अनुजण्तिधारी के अच्छे आचरण तथा स्वच्छ रिकार्ड एवं अनुजण्ति की शतों, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए, यथा विहित अनुजण्ति फीस के भुगतान पर प्रति वर्ष नवीनीकरण के अध्यधीन रहते हुए जारी की जाएगी। इस अनुजण्ति की अविध डी-1 अनुजण्ति की अविध से अधिक नहीं होगी। इस अनुजण्ति की विधिमान्यता डी-1 अनुजण्ति की विधिमान्यता से सम्बद्ध होगी, अर्थात् डी-1 अनुजण्ति निलंबित या रद्द होने की दशा में यह अनुजण्ति स्वयमेव ही निलंबित या रद्द हो जाएगी।

- (3) प्ररूप एस.एल.१ में अनुजप्ति, आबकारी आयुक्त द्वारा मंजूर और जारी की जाएगी।
- (4) एस.एल.1 में अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन, नियम 6 के उप-नियम (3) में उल्लिखित किए गए अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, जो आवश्यक जांच करने और विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् आवेदक की उपयुक्तता के आधार पर अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकेगा या स्वीकृत करने से इन्कार कर सकेगा।

7. विशेष मदिरा का आयात.-

नीचे यथा वर्णित प्रक्रिया के अधीन जारी अथवा प्राप्त किए जाने वाले अनापित प्रमाण-पत्र और/या अनुजापत्र के अधीन एवं अनुसार के सिवाय, फीस का पूर्व संदाय किए बिना विशेष मदिरा का मध्यप्रदेश में आयात नहीं किया जाएगा, अर्थात्:-

- (1) एफ.एल.9/एफ.एल.9ए/एस.एल.1 के अनुज्ञप्तिधारी को अनुसूची-अ के अनुक्रमांक 3 अनुसार विहित दर पर आयात फीस का पूर्व संदाय करने पर विशेष मदिरा के आयात के लिए अनापित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. अनापित प्रमाण-पत्र प्ररूप एस.एल.2 में विहित किए गए अनुसार होगा।
- (2) आबकारी आयुक्त या उसकें द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, किसी अनुज्ञिप्तधारी को, अनुसूची-अ के अनुक्रमांक 3 अनुसार विहित दर पर आयात फीस के पूर्व संदाय के अध्यधीन रहते हुए भारत के अन्य राज्य से/भारत के बाहर से विशेष मदिरा के आयात की अनुजा दे सकेगा।
- (3) आयात कर्ता, आबकारी आयुक्त या आयातक जिले के कलक्टर या प्राधिकृत आबकारी अधिकारी को आवेदन करेगा। आवेदन में सुसंगत ख्यौरे अर्थात् आयातकर्ता और निर्यात के स्थान पर उसके अभिकर्ता का नाम, पता, विशेष मिदरा की मात्रा, प्रकार और एल्कोहलिक शिक्त, आयात का प्रयोजन, इकाई जहां से वह आयात की जाएगी और उसके अनुजप्त परिसर की अवस्थिति जहां कि आयात की गई विशेष मिदरा परिवहन की जाएगी, आदि दिए जाएंगे।
- (4) आयातकर्ता अपने आवेदन के साथ अनुसूची-अ के अनुक्रमांक 3 अनुसार विहित दर पर आयात फीस का साइबर कोषालय में पूर्व संदाय दर्शाने वाली स्सीद संलग्न करेगा।

- (5) आबकारी आयुक्त या आयातक जिले के कलक्टर या प्राधिकृत आबकारी अधिकारी, आवश्यक जांच और स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात्, कि प्रमाण पत्र जारी करने में कोई आपति नहीं है, यथास्थिति प्ररूप एस.एल.2 में अनापति प्रमाण-पत्र स्वीकृत और जारी कर सकेगा।
- (6) खंड (5) के अधीन स्वीकृत किया गया अनापति प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में होगा, भाग एक जारी करने वाले कार्यालय में रखा जाएगा। भाग दो उस आधिकारी को भेजा जाएगा, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्यात प्राधिकृत करे और भाग तीन आवेदक को सौंपा जाएगा।
- (7) समस्त आयात, निर्यात करने वाले जिले के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए गए विधिमान्य निर्यात पास के प्राधिकार के अधीन, किए जाएंगे। आयातक द्वारा ऐसे निर्यात-पास के समस्त निबन्धनों तथा शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

8. परेषण के आगमन की संसूचना.-

- (1) अनापति प्रमाण-पत्र तथा अनुजापत्र द्वारा आवृत्त विशेष मदिरा के परेषण के अनुजप्त परिसर पर पहुंचते ही परेषिती, आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार तत्काल सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करेगा।
- (2) ऐसी संस्चना प्राप्त होने पर, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी परेषण के सत्यापन के लिए उप-निरीक्षक से अनिम्न पद श्रेणी के किसी आबकारी अधिकारी को नियुक्त करेगा। इस प्रकार नियुक्त आबकारी अधिकारी सत्यापन कार्यान्वित करेगा, निर्यातक राज्य द्वारा जारी अनुज्ञापत्र में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संधारित अभिलेखों और रिजिस्टरों में प्राप्त की गई मात्रा के ब्यौरे, प्रविष्ट करेगा। वह एक सत्यापन रिपोर्ट तैयार करेगा और संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा, जो उसे आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार निर्यात अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भेजेगा।
- (3) सत्यापन ऑनलाइन या लिखित में सूचना प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर पूर्ण होना चाहिए। विसंगतियों के प्रकरण संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को तत्काल संसूचित किए जाने चाहिए।

- (4) यदि ऑनलाइन/लिखित संसूचना के चौबीस घंटे के भीतर किसी आबकारी अधिकारी द्वारा परेषण का सत्यापन नहीं किया जाता है, तो आयातकर्ता परेषण को खोलेगा, मात्रा और अन्य ब्यौरों को सत्यापित करेगा और विवरण/ब्यौरे विहित रिजिस्टरों एवं ई-आबकारी पोर्टल में दर्ज करेगा।
- (5) परेषण गंतव्य स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उसे उतारे बिना निर्यात अनुजापत्र में उल्लिखित मार्ग से अनुजप्त परिसर तक अक्षुण्ण लाया जाएगा।

9. विशेष मदिरा का निर्यात.-

- (1) केवल एस.एल.1 अनुज्ञप्तिधारी को ही निर्यात करने की अनुज्ञा दी जाएगी तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विशेष मंदिरा का निर्यात, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
- (2) निर्यातकर्ता अनुसूची-क के अनुक्रमांक 4 के अनुसार विहित दर पर निर्यात फींस का अग्रिम संदाय साइबर कोषालय में करेगा।
- (3) निर्यातकर्ता, निर्यात की जाने वाली विशेष मदिरा की संपूर्ण मात्रा पर आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित राशि अनुसूची-क के अनुक्रमांक 6 के अनुसार विहित दर पर जमा करेगा या उस रकम के बराबर राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित बैंक की स्थानीय शाखा की बैंक गारंटी देगा या उक्त रकम के लिए प्ररूप एस.एल.3 में समुचित शोधनक्षम प्रतिभुओं के साथ एक बंध-पत्र निष्पादित करेगा। आयातक इकाई के भारसाधक अधिकारी से प्रेषित किए गए परेषण के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् विशेष मदिरा का दूसरा परेषण जिसमें उतनी ही अथवा उससे कम शुल्क की राशि अंतर्विष्ट हो उतनी ही नकद जमा या बैंक गारंटी या बंध-पत्र के आधार पर निर्यात किया जा सकेगा।
- (4) निर्यात अनुज्ञापत्र की स्वीकृति के लिए आवेदन, निर्यातक जिले के कलक्टर या प्राधिकृत आबकारी अधिकारी को या आबकारी आयुक्त द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को किया जाएगा। आवेदन में, आवश्यक ब्यौरे अर्थात् निर्यातकर्ता और आयात के स्थान पर उसके अभिकर्ता का नाम, पता, विशेष मदिरा की मात्रा का वर्णन और एल्कोहलिक शक्ति, निर्यात का प्रयोजन और वह इकाई जहां यह निर्यात की जाएगी आदि उल्लिखित किए जाएंगे। निर्यातकर्ता अपने आवेदन के साथ, आयातक जिले के प्राधिकृत आबकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अनापति प्रमाण-पत्र या आयात पास या अनुज्ञा पत्र संलग्न करेगा।

- (5) उप-नियम (4) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, कलक्टर या प्राधिकृत आंबकारी अधिकारी आवश्यक जांच करेगा। यदि वह यह पाता है कि उप-नियम (3) तथा (4) में अधिकथित शर्तों का समाधानप्रद रूप में अनुपालन कर लिया गया है और उसकी यह राय है कि निर्यात अनुजा पत्र जारी करने में कोई आपित नहीं है, तो वह प्ररूप एस.एल.4 में विहित किए गए अनुसार अनुजापत्र जारी करेगा।
- (6) प्ररूप एस.एत.4 में निर्यात अनुजापत्र चार प्रतियों में होगा। प्रथम भाग जारी करने वाले कार्यालय में रखा जाएगा, द्वितीय भाग निर्यातकर्ता को सौंपा जाएगा जो परेषण के अभिवहन के समय साथ रहेगा, तृतीय एवं चतुर्थ भाग क्रमशः आयातक इकाई के भारसाधक अधिकारी को और आयात प्राधिकृत करने वाले अधिकारी को, आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भेजा जाएगा।
- (7) भारत के बाहर विशेष मदिरा का निर्यात करने की दशा में, निर्यातकर्ता, निर्यातक जिले के कलक्टर या प्राधिकृत आबकारी अधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त को आवेदन करेगा। आवेदन में सुसंगत ब्यौरे अर्थात् परेषक (माल भेजने वाला) का नाम, परेषिती (माल पाने वाला) का नाम, विशेष मदिरा की मात्रा, प्रकार और एल्कोहलिक शक्ति, निर्यात मार्ग तथा राज्य/देश से विशेष मदिरा के निर्गम का चेक पोस्ट अन्तर्विष्ट होने चाहिए। आयातक देश की इकाई (इकाई का नाम, पता, दूरभाष नम्बर तथा ई-मेल एड्रेस सहित) का परचेज आईर/डिमांड लेटर, प्रोफार्मा इन्व्हाईस, पैकिंग लिस्ट, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आयातक-निर्यातक कोड का प्रमाण पत्र आदि भी उक्त आवेदन में उल्लिखित/संलग्न किए जाएंगे।
- 10. सत्यापन रिपोर्ट का प्राप्त किया जाना.- निर्यातकर्ता अनुज्ञप्तिधारी, आयात करने वाली इकाई के भारसाधक अधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्ति के 3 दिवस अथवा अनुजापत्र की कालावधि की समाप्ति के 25 दिन के भीतर, जो पहले हो, उस प्राधिकारी को देगा, जिसके द्वारा निर्यात अनुजा पत्र जारी किया गया है। यदि निर्यातकर्ता ऐसा करने में असफल रहता है, तो निर्यात की गई विशेष मदिरा पर उद्ग्रहणीय शुल्क, नियम 9 के उप-नियम (3) यथा उल्लिखित जमा राशि दी गई बैंक गारंटी या निष्पादित किए गए बंधपत्र से वसूल किया जाएगा। यह किसी ऐसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त होगा, जो नियम 16 के अधीन अधिरोपित की जाए:

परन्तु सत्यापन रिपोर्ट 25 दिन की नियत समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत किए जाने की दशा में वसूल किया गया शुल्क, सम्यक् सत्यापन के पश्चात्, निर्यातकर्ता को वापस कर दिया जाएगा। उस दशा में, जहां कि किसी प्राधिकारी द्वारा परेषित माल रास्ते में ही अभिगृहीत कर लिया जाता है और वह गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचता है, तो उद्ग्रहणीय शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि विशेष मदिरा, किसी अन्य देश को निर्यात की जाती है, तो विशेष मदिरा निर्यात करने वाला अनुज्ञप्तिधारी, इस बात का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, कि परेषित माल वास्तव मे देश से बाहर जा चुका है।

11. विशेष मदिरा, ई.एन.ए आदि के परिवहन के लिए प्रक्रिया.-

एस.एल.1 अनुजिष्तिधारी, किसी अन्य विदेशी/विशेष मदिरा विनिर्माणी इकाई के लिए राज्य के भीतर विशेष मदिरा का परिवहन कर सकेगा। इस प्रयोजन के लिए विदेशी/विशेष मदिरा विनिर्माणी इकाई का अनुजिष्टिधारी अपने जिले में अनुस्ची-क के अनुक्रमांक 5 में यथा उल्लिखित विहित दर पर परिवहन फीस जमा करेगा और विदेशी/विशेष मदिरा विनिर्माणी इकाई के भारसाधक अधिकारी से प्ररूप एस.एल.5 में यथा विनिर्दिष्ट अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करेगा। प्ररूप एस.एल.5 में यथा विनिर्दिष्ट अनापति प्रमाण पत्र सदैव अभिप्राप्त किया जाएगा, भले ही विशेष मदिरा का परिवहन करने वाले अनुजिष्तिधारी का अनुजिष्त परिसर और विदेशी/विशेष मदिरा विनिर्माणी इकाई उसी मुख्यालय पर या उसी शहर अथवा जिले में अवस्थित हो। प्ररूप एस.एल.5 में यथा विनिद्दष्ट अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित मात्रा के लिए एस.एल.6 में यथा विनिद्दष्ट परिवहन अनुजापत्र, एस.एल.1 अनुजिष्त के भारसाधक अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा;

परन्तु एस.एल.1 अनुजिष्तिधारी, परिवहन की जाने वाली विशेष मदिरा की सम्पूर्ण मात्रा हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित राशि अनुसूची-क के अनुक्रमांक 6 के अनुसार विहित दर पर जमा करेगा, या उस रकम के बराबर राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक की स्थानीय शाखा की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा या प्ररूप एस.एल.3 में यथा विनिर्दिष्ट रकम के लिए पर्याप्त शोधनक्षम प्रतिभुओं के साथ बंधपत्र निष्पादित करेगा। विदेशी/विशेष मदिरा विनिर्माणी इकाई के भारसाधक अधिकारी से प्रेषित किए गए, परेषण के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् विशेष मदिरा का अतिरिक्त परेषण का, जिसमें उतनी ही अथवा उससे कम शुल्क की मात्रा अंतर्वलित

हो, उसी नकद जमा या बैंक गारंटी या बंधपत्र के आधार पर परिवहन किया जा सकेगा;

परन्तु यह और कि एस.एल.1 अनुज्ञप्तिधारी, विदेशी/विशेष मदिरा विनिर्माणी इकाई के भारसाधक अधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगा और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर अथवा अनुजापत्र की कालावधि की समाप्ति के 25 दिन के भीतर, जो पहले हो, उसे उस प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसके द्वारा परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है। यदि अनुज्ञप्तिधारी, ऐसा करने में असफल रहता है, तो परिवहन की गई विशेष मदिरा पर उद्ग्रहणीय शुल्क उसके द्वारा जमा की गई राशि, दी गई बैंक गारंटी या निष्पादित प्रतिभृति बंधपत्र से वसूल किया जाएगा, यह किसी ऐसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त होगा, जो नियम 16 के अधीन अधिरोपित की जाए।

12. विशेष मदिरा के विनिर्माण के लिए परिशोधित स्पिरिट /ई.एन.ए. का उपापन.~

- (1) विशेष मदिरा के विनिर्माण के लिए एस.एल.1 अनुजन्तिधारी द्वारा डी-1 अनुजन्तिधारी से परिशोधित स्पिरिट या ई.एन.ए. का परिवहन, आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा सकेगा।
- (2) प्रदायकर्ता डी-1 अनुज्ञिन का भारसाधक अधिकारी, एस.एल.1 अनुज्ञिन के भारसाधक अधिकारी से प्ररूप एस.एल.7 में यथा विनिर्दिष्ट अनापित प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।
- (3) परिशोधित स्पिरिट या ई.एन.ए. के डी-1 परिसर के भीतर ही परिवहन के लिए ऐसे प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ एक चालान होगा, जो यह दर्शाएगा कि एस.एल.1 के अनुज्ञिप्तधारी द्वारा अनुसूची-क के अनुक्रमांक 7 के अनुसार विहित दर पर परिवहन फीस साइबर ट्रेजरी में जमा कर दी गई है और डी-1 अनुज्ञिप्त के भारसाधक अधिकारी से प्ररूप एस,एल.8 में यथा विनिर्दिष्ट परिवहन अनुज्ञा पत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् अपने अनुज्ञप्त परिसर में परिशोधित स्पिरिट/ई.एन.ए. का परिवहन करेगा।
- (4) कोई एस.एल.1 अनुज्ञिप्तिधारी, जो किसी अन्य डी-1 अनुज्ञिप्तिधारी से परिशोधित स्पिरिट/ई.एन.ए. का परिवहन करने का इरादा रखता है, अपने जिले में अनुसूची-क के अनुक्रमांक 8 के अनुसार विहित दर पर परिवहन फीस जमा करेगा और

डी-1 अनुज्ञप्ति के भारसाधक अधिकारी से प्ररूप एस.एल.8 में यथा विनिर्दिष्ट परिवहन अनुज्ञा पत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् अपने अनुज्ञप्त परिसर में परिशोधित स्पिरिट/ई.एन.ए. का परिवहन करेगा।

- 13. हानियों की अनुजेय सीमाएं.- एस.एल.1 अनुजिप्तिधारी हेतु, परिवहन की गई विशेष मदिरा तथा परिशोधित स्पिरिट/ई.एन.ए. पर छीजन (वेस्टेज) से छूट वहीं होगी, जो कि मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 के नियम 6 के उप-नियम (4) में उल्लिखित की गई है।
- 14. मंडारण, रेकिंग, न्यूनीकरण में हानियाँ.- किसी एस.एल. 1 अनुजण्तिधारी के लिए रेकिंग, भण्डारण, वाष्पीकरण, न्यूनीकरण, सम्मिश्रण आदि के कारण विशेष मदिरा तथा परिशोधित स्पिरिट/ई.एन.ए. की अधिकतम अनुजेय हानियाँ वही होंगी, जो कि आसवनी नियम, 1995 के नियम है के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट है।

15. विविध.-

- (1) किसी अन्य देश को निर्यात की जाने वाली विशेष मंदिरा पर कोई शुल्क, कर, फीस या लेवी देय नहीं होगी।
- (2) विशेष मदिरा का समस्त निर्यात, आयात और परिवहन अनुज्ञप्तिधारी के व्यय और जोखिम पर किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी की हुई हानि के आधार पर कोई शुक्क, आयात फीस, निर्यात फीस या परिवहन फीस वापसी योग्य नहीं होगी।
- (3) निर्यातकर्ता या परिवहनकर्ता, निर्यात या परिवहन अनुजापत्र में विनिर्दिष्ट मार्ग का दृढता से अनुगमन करेगा, जो सदैव परेषण के साथ रहेगा। परेषण सीधे गंतव्य स्थान को अनुजापत्र की विधिमान्य कालाविध के भीतर अक्षत (इन्टेक्ट) ले जाया जाएगा और किसी भी परिस्थित में अभिवहन के दौरान इसे तोड़ा, उतारा या व्ययनित नहीं किया जाएगा।
- (4) प्ररूप एस.एल.1 में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति की समाप्ति या रद्द होने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, मदिरा या विशेष मदिरा या दोनों का संपूर्ण स्टॉक सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के नियंत्रणाधीन रखेगा। पूर्ववर्ती अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे अवशेष किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को जिसको यह विक्रय किया जा सकता है, समाप्ति या रद्द किए जाने की 30 दिवस की अविध के भीतर व्ययन करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। यदि वह

अवशेषों का पूर्वोक्त वर्णित रीति से और विहित कालाविध के भीतर व्ययन करने में असमर्थ रहता है, तो आबकारी आयुक्त, राज्य के किसी अन्य अनुजल्तिधारी को, जो नियमों के अधीन ऐसे अवशेष क्रय करने के लिए अनुजात हो, संपूर्ण अवशेष या उसके भाग को ऐसी दर पर जो उनके द्वारा नियत की जाए, क्रय करने के लिए कह सकेगा या उसके व्ययन के संबंध में अन्य कोई निर्देश, जिनमें उनको नष्ट करना भी सम्मिलित है, दे सकेगा।

- (5) अनुजिष्तिधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा, समय-समय पर, जारी आदेशीं/निर्देशीं द्वारा आबद्ध रहेगा।
- (6) इन नियमों के अधीन प्रत्येक अनुजिधारी, विशेष मंदिरा तथा परिशोधित स्पिरिट/ई.एन.ए. के अपने स्टॉक को केवल उसकी अनुजिध्त में विनिर्दिष्ट परिसर में रखेगा।
- (ग) इन नियमों के अधीन देय आवेदन फीस, अनुज्ञित फीस, आयात फीस, निर्यात फीस, परिवहन फीस और शुल्क आदि, ऐसा होगा, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के माध्यम से विहित किया जाए।
- (8) शुल्क, परिवहन फीस, आयात फीस, निर्यात फीस, उसी जिले में जमा की जाएगी, जिसमें विशेष मदिरा का परिवहन, आयात या निर्यात करने वाले अनुजिप्तधारी का अनुजिप्त परिसर स्थित है।
- (9) अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा, कि वह किसी अनुज्ञिप्तधारी पर ऐसी युक्तियुक्त अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित करे, जिन्हें कि अधिनियम, नियमों या अनुज्ञप्ति की शर्तों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वह उचित समझे।
- (10) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त या अधिनियम के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के लिए इस अनुज्ञप्ति को निरस्त करने की शक्ति आबकारी आयुक्त को होगी।
- (11) यदि इन नियमों के अधीन किसी अनुजापन प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गई अनुजप्ति का धारक, उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध या किन्हीं नियमों या अनुजप्ति की शतों के भंग के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, तो अनुजापन प्राधिकारी, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के प्रस्ताव पर, अनुजप्तिधारी को सुनने के पश्चात, अधिनियम की धारा 31 के उपबंधों के अधीन अनुजप्ति को निलंबित करने या रद्द कर सकेगा।

16. शास्तियां.-

- (1) आबकारी आयुक्त, इन नियमों के किसी नियम या अधिनियम के किसी उपबंध या आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किसी आदेश/निर्देश के उल्लंघन के लिए रू. 2,00,000 (रूपये दो लाख) से अनिधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।
- (2) नियम 13 और 14 के अधीन अनुजात की गई सीमाओं से अधिक सभी कमियों के लिए एस.एल.1 का अनुजान्तिधारी, देशी मदिरा पर तत्समय देय इयूटी की दर से अनिधिक की दर पर ऐसी शास्ति, जैसा कि आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाए, भुगतान के लिए दायी होगा;

परन्तु यदि आबकारी आयुक्त या प्राधिकृत अधिकारी को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर दिए जाने पर, कि ऐसी कमी या हानि कितपय अपरिहार्य कारणों जैसे अग्नि या दुर्घटना द्वारा कारित हुई थी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी अथवा इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई गई थी अथवा इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराने हेतु सूचना आवेदन दिया गया था तथा उसकी पावती प्रति अथवा संबंधित क्षेत्र के आबकारी उपनिरीक्षक अथवा जिला आबकारी अधिकारी को दी गई सूचना आवेदन की पावती की प्रति हो, इस उप-नियम के अधीन अधिरोपित की जाने वाली शास्ति का अधित्यजन कर संकेगा।

- (3) आबकारी आयुक्त, इन नियमों के किसी नियम या अधिनियम के किसी उपबंध या अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी अन्य नियम या आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के लिए, अधिनियम की धारा 31 के अधीन अनुज्ञित को निलंबित या रद्द कर सकेगा।
- 17. ई-आबकारी व्यवस्था की प्रक्रियाएं .- ई-आबकारी व्यवस्था के लागू होने पर, इसकी प्रक्रियाएं, इन नियमों के अधीन परिभाषित तत्स्थानी प्रक्रियाओं के स्थान पर प्रभावशील होंगी तथा आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित ई-आबकारी व्यवस्था की प्रक्रियाएं, इन नियमों के अधीन बनाए गए नियमों के रूप में समझी जाएंगी।

अनुसूची-क मध्यप्रदेश विशेष मदिरा नियम, 2024 के अधीन विभिन्न मदों के लिए फीस/शुल्क की विहित दरें

अनुक्रमांक	ਸਫ	विहित दर		
(1)	. (2)	(3)		
1	एस.एल.१ अनुजिन्त हेतु आवेदन फीस	रूपये 10,000/-		
2	एस.एल.१ अनुज्ञप्ति हेतु अनुज्ञप्ति फीस	रूपये 2,00,000/- प्रतिवर्ष		
3	विशेष मदिरा के आयात हेतु फीस	रूपये 8/- प्रति बल्क लीटर		
4	विशेष मदिरा के निर्यात हेतु फीस	रूपये 0.50/- प्रति बल्क लीटर		
5	विशेष मदिरा के परिवहन हेतु फीस	रूपये 3.50/- प्रति बल्क लीटर		
6	विशेष मदिरा के परिवहन/निर्यात हेतु शुल्क	देशी मदिरा प्रति प्रूफ लीटर की शुल्क दर के 5 प्रतिशत के समतुल्य राशि/ प्रतिभूति		
7	एस.एत.1 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसी परिसर में स्थित डी-1 से परिशोधित स्पिरिट/ई.एन.ए प्राप्त करने पर परिवहन फीस	रूपये 1/- प्रति बल्क लीटर		
	एस.एल.1 अनुजप्तिधारी द्वारा किसी अन्य डी-1 अनुजप्तिधारी से परिशोधित स्पिरिट/ई.एन.ए प्राप्त करने पर परिवहन कीस	रूपये 3/- प्रति बल्क लीटर		

प्ररूप एस.एल.1

[नियम 3(6) देखिए]

विशेष मदिरा के विनिर्माण, सम्मिश्रण, भण्डारण, आयात, निर्यात, परिवहन एवं विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति

विशेष मदिरा नियम, 2024 के नियम 3 के उप-नियम (6) के अधीन तथा अनुजण्ति फीस
रुपयेजिसका अग्रिम भुगतान किया जा चुका है, के प्रतिफल
में जिले में स्थित जो नीचे दी गई अन्सूची में
वर्णित है एतद्द्वारा श्री/मेसर्स डी-1 लायसेंसी को विशेष मदिरा के विनिर्माण,
सम्मिश्रण, भण्डारण, आयात, निर्यात, परिवहन एवं विक्रय के लिए से
तक एतद्द्वारा निम्न शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अनज्ञित स्वीकृत की जाती
है:-

शर्ते

- 1. यह अनुज्ञप्ति केवल डी-1 अनुज्ञप्तिधारी को ही स्वीकृत की जाएगी।
- 2. इस अनुजप्ति की अवधि डी-1 अनुजप्ति की अवधि से अधिक नहीं होगी, अर्थात् डी-1 अनुजप्ति निलंबित या रद्द होने की दशा में यह अनुजप्ति स्वयमेव ही निलंबित या रद्द हो जाएगी।
- 3. इस अनुज्ञप्ति को अभिप्राप्त करने हेतु डी-1 अनुज्ञप्तिधारी को विशेष मदिरा के भण्डारण एवं मिश्रण हेतु आसवनी परिसर में पृथक से व्यवस्था करनी होगी।
- 4. विशेष मदिरा का उपयोग स्वयं हेतु अथवा अन्य अनुज्ञितधारियों को विक्रय हेतु, 1000 बल्क लीटर अथवा उससे अधिक की माज्ञ में ही अनुमत किया जाएगा।
- 6. अनुज्ञप्तिधारी विशेष मदिरा तथा परिशोधित स्पिरिट/ई.एन.ए. पर विहित दर से शुल्क /फीस का संदाय करेगा।
- अनुज्ञिष्तिधारी विशेष मदिरा के विनिर्माण एवं भराई का कार्य भारसाधक अधिकारी को सुसंगत ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए, पूर्व सूचना दिए बिना नहीं करेगा।
- 8. अनुजिप्तिधारी विशेष मदिरा के विनिर्माण में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं घातक किसी भी संघटक का उपयोग नहीं करेगा।
- 9. अनुज्ञिष्तिधारी विनिर्मित और विक्रय की गई विशेष मदिरा का दैनिक सही लेखा संधारित करेगा।
- 10. इस अनुज़प्ति की किसी शर्त या अधिनियम, अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश/निर्देश के उल्लंघन पर अनुजापन प्राधिकारी द्वारा अनुज़प्ति, निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी।

आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश

अनुसूची

स्थल का वर्णन	अनुजप्त परिसर की सीमाएं						
	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			

प्ररूप एस.एल.2

[नियम 7 (1) देखिए]

विशेष मदिरा के आयात हेतु अनापति प्रमाण पत्र

प्रथम - भाग : जारी करने वाले कार्यालय में रखा जाए। द्वितीय - भाग : उस प्राधिकारी को आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से भेज दिया जाए, जो निर्यात प्राधिकृत करता है। तृतीय - भाग : आवेदक को सौंप दिया जाए। प्रित, विषय: फीस का संदाय किए जाने के पश्चात् विशेष मिद्दरा के आयात के लिए अनापित प्रमाण पत्र । श्री/मेसर्स जो विशेष मिद्दरा के अनुजिन्तिधारक हैं, से विशेष मिद्दरा के अनुजिन्तिधारक हैं। यह अनाका पर आयात फीस के रूप में रूपये चालान क्रमांक दिवारा निर्यात अनुजापत्र जारी किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपित नहीं होगी। यह अनापति प्रमाण पत्र				
दिया जाए, जो निर्यात प्रिधिकृत करता है। तृतीय - भाग : आवेदक को सींप दिया जाए। प्रित, विषय: फीस का संदाय किए जाने के पश्चात् विशेष मदिरा के आयात के लिए अनापित प्रमाण पत्र । श्री/मेसर्स जो मध्यप्रदेश के	प्रथम : भाग :	ज़ारी करने वाले कार्यालय में र	खा जाए।	20
प्रति, विषय: फीस का संदाय किए जाने के पश्चात् विशेष मदिरा के आयात के लिए अनापति प्रमाण पत्र । श्री/मेसर्स जो मध्यप्रदेश के जिले के एफ.एल.9एफ.एल.9ए/एस.एल.1 के अनुजिन्दिधारक हैं, से विशेष मिदरा के अनुजिन्दिधारक हैं, से विशेष मिदरा के जा विशेष मिदरा के अनुजिन्दिधारक हैं, से विशेष मिदरा के बल्क लीटर आयात करने की वांछा करता है और उसके द्वारा उस मात्रा पर आयात फीस के रूप में रुपये चालान क्रमांक दिनांक का द्वारा संदत कर दिए गए हैं। यदि उसके लिए आपके द्वारा निर्यात अनुजापत्र जारी किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपित नहीं होगी। यह अनापित प्रमाण पत्र तक विधिमान्य होगा।	द्वितीय - भाग :		5	प्रक्रिया से भैज
विषयः फीस का संदाय किए जाने के पश्चात् विशेष मदिरा के आयात के लिए अनापति प्रमाण पत्र । श्री/मेसर्स जो मध्यप्रदेश के जिले के एफ.एल.9/एफ.एल.9ए/एस.एल.1 के अनुजिन्तधारक हैं, से विशेष मदिरा के अनुजिन्दधारक हैं, से विशेष मदिरा के अनुजिन्दधारक हैं। से विशेष मदिरा के अनुजिन्द्दवारा है। से विशेष मदिरा के अनुजिन्दधारक हैं। विशेष मदिरा के अनुजिन्दधारक हैं। विशेष मदिरा के अनुजिन्दधारक हैं। विशेष मदिरा के अनुजिन्दधारक हैं, से	तृतीय - आग :	आवेदक को सौंप दिया जाए।	- :	
विषयः फीस का संदाय किए जाने के पश्चात् विशेष मदिरा के आयात के लिए अनापति प्रमाण पत्र । श्री/मेसर्स जो मध्यप्रदेश के जिले के एफ.एल.9/एफ.एल.9ए/एस.एल.1 के अनुजिप्तधारक हैं, से विशेष मिदरा के अनुजिप्तधारक हैं। से देवारा उस मात्रा पर आयात फीस के रूप में रुपये चालान क्रमांक देवारा उस मिर्यात अनुजापत्र जारी किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपित नहीं होगी। यह अनापित प्रमाण पत्र विधिमान्य होगा। प्राधिकृत अधिकारी	प्रति,		20	
श्री/मेसर्स जो मध्यप्रदेश के जिले के एफ.एल.9/एफ.एल.9ए/एस.एल.1 के अनुजितधारक हैं, श्री/मेसर्स जो विशेष मिदरा के अनुजितधारक हैं, से विशेष मिदरा के अनुजितधारक हैं, से विशेष मिदरा के अनुजितधारक हैं, से विशेष मिदरा के जा विशेष मिदरा के जा वाला करता है और उसके द्वारा उस मात्रा पर आयात फीस के रूप में रूपये चालान क्रमांक द्वारा उस मात्रा पर आयात फीस के रूप में रूपये चालान क्रमांक द्वारा मेंद्र कर दिए गए हैं। यदि उसके लिए आपके द्वारा निर्यात अनुजापत्र जारी किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपित नहीं होगी। यह अनापित प्रमाण पत्र		93		
श्री/मेसर्स जो मध्यप्रदेश के जिले के एफ.एल.९/एफ.एल.९ए/एस.एल.1 के अनुजण्तिधारक हैं, श्री/मेसर्स जो विशेष मंदिरा के अनुजण्तिधारक हैं, से विशेष मंदिरा के जायात करने की वांछा करता है और उसके द्वारा उस मात्रा पर आयात फीस के रूप में रूपये		िकिए जाने के पश्चात् विशेष व	मदिरा के आयात के लि	ए अनापति
जिले के एफ.एल.9/एफ.एल.9ए/एस.एल.1 के अनुज्ञन्तिधारक हैं, से श्री/मेसर्स	अनाण पत्र (W	
श्री/मेसर्स जो विशेष मदिरा के अनुजिप्तिधारक हैं, से विशेष मदिरा के अनुजिप्तिधारक हैं, से विशेष मिदरा के अनुजिप्तिधारक हैं, से विशेष मिदरा के अपना है और उसके द्वारा उस मात्रा पर आयात फीस के रूप में रूपये चालान क्रमांक द्वारा संदत कर दिए गए हैं। यदि उसके लिए आपके द्वारा निर्यात अनुजापत्र जारी किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपित नहीं होगी। यह अनापित प्रमाण पत्र				
विशेष मदिरा के बल्क लीटर आयात करने की वांछा करता है और उसके द्वारा उस मात्रा पर आयात फीस के रूप में रुपये चालान क्रमांक				
द्वारा उस मात्रा पर आयात फीस के रूप में रुपये चालान क्रमांक विनांक				
प्रिकृत अधिकारी				
आपके द्वारा निर्यात अनुजापत्र जारी किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपित नहीं होगी। यह अनापित प्रमाण पत्रतक विधिमान्य होगा। प्राधिकृत अधिकारी				
होगी। यह अनापति प्रमाण पत्रतक विधिमान्य होगा। प्राधिकृत अधिकारी				
प्राधिकृत अधिकारी				कोई आपति नहीं
***************************************	हागा। यह अनापात प्रम	ाण पत्रतक	विधिमान्य होगा।	
***************************************		* * *		
(मध्यप्रदेश)	*		प्रा	धिकृत अधिकारी
(मध्यप्रदेश)				*************
			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	(मध्यप्रदेश)

प्ररूप एस.एत.3 [नियम 9(3) एवं 11 देखिए] बंधपत्र

एस.एल. १ अनुज्ञप्ति के स्थित अनुज्ञप्त परिसर व
बंधपत्र के अधीन निर्यात/परिवहन के लिए विशेष मदिरा के हटाए जाने पर निष्पादित किए जान
वाले बंधपत्र का प्ररूप
में/हम,(जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के नाम से निर्दिष्ट हैं
मध्यप्रदेश विशेष मदिरा नियम, 2024 के नियम 9 या 11 के अधीन निर्यात/परिवहन अनुजा-पः
के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार बंधपत्र के अधीन विशेष मदिरा का नियत समय के भीत
निर्यात/परिवहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं/किए गए हैं।
में /हम एतद्द्वारा स्वयं को तथा साथ ही मेरे/हमारे उत्तराधिकारियों/विधिक प्रतिनिधिय
को रुपये के लिए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल के प्रति आबद्ध करता हूँ
करते हैं, और यह वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि मैं/हम, निर्यात/परिवहन प्राधिकृत करने वाले
अधिकारी के समाधान पर्यन्त यह सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ रहूं/रहें कि उस/उन
निर्यात/परिवहन अनुज्ञा-पत्र के अधीन, जो मेरे/हमारे पक्ष में जारी किया गया है/किये गए है में
उल्लिखित विशेष मदिरा विनिर्दिष्ट समय के भीतर सम्यक रूप से तथा अंतिम रूप से निर्यात
परिवहित की गई है, तो मैं/हम, उस पर विहित दर पर पूरा शुल्क का संदाय मध्यप्रदेश के
राज्यपाल को करुंगा/करेंगे। यह ऐसी किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त होगा जो कि
निर्यात/परिवहन से संबंधित निबन्धनों तथा शर्तों के उल्लंघन के लिए मुझ पर/हम पर अधिरोपित
की जाए।
स्थान,
तारीखं(हस्ताक्षर)
अनुज्ञिधारी
श्री/मेसर्सको, जो कि प्ररूप एस.एल.१ में अनुज्ञप्ति
में धारक है, विशेष मदिरा नियम, 2024 के अधीन स्थित उसके/ उनके अनुज्ञप्त परिसर से
पुल्क का सदाय किए बिना, विशेष मदिरा का निर्यात/परिवहन करने के लिए अनुजात किया गया
ीकर्य गए है, इस अनुजा को शर्ते निम्नानुसार है
1) अनुजिप्तिधारी किसी भी एक समय पर विशेष मदिरा की ऐसी कोई मात्रा निर्यात/परिवहन
नहीं करेगा, जिस पर किसी भी समय पर दिया गया विदित हर से कल शलक उपके

मूल्य से अधिक होता है।

(2) अनुज्ञप्तिधारी निर्यात/परिवहन अनुजा पत्र में वर्णित विधिमान्यता की, कालावधि के दौरान गंतव्य स्थान के भारसाधक अधिकारी को विशेष मदिरा परिवहित करेगा, ऐसा न करने पर वह परिवहित नहीं की गई विशेष मदिरा की मात्रा पर विहित दर पर शुल्क का संदाय मध्यप्रदेश के राज्यपाल को करेगा। यह ऐसी किसी शास्ति के अतिरिक्त होगा जो कि अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन उस पर अधिरोपित की जाए।

साक्षी - 1	3.5		2	मध्यप्रदे	श के राज	न्यपाल की अं	र से.
ज् म ,						आबकारी आ	
पताः						गबकारी अधि	~
साक्षी - 2	9 - 9					erither considering	·
नामः		40	×				দ্য
पता:	,		2.00			7	
की उपस्थिति में हस्ताक्षर		11 184			- 4		
		19				= *	
स्थान			n.	2 45		Ge.	
दिनांक			r si		75		

प्ररूप एस.एल. 4 [नियम 9 (5) तथा (6) देखिए] बंधपत्र के अधीन विशेष मदिरा के निर्यात के लिए अनुजापत्र

	20 G. 1		,
जारी करने वाले कार्या	लय में रखा जाए।		
9		_	
को भेज दिया जाए, वि के सत्यापन के लिए निर्यात अनुजापन जा भारसाधक अधिकारी के स्थित इकाई तक विशे ा है। यह अनुजापन	जसने आयात प्राप्ति तथा उस अधिका री किया है, अ ो भेज देगा। को, जो त अपने के ष मदिरा का निर	धेकृत किया रिको भेजन यात करने एस.एल.1 अनुजप्त र्यात करने के विधिमान्य रा	है, जो उसे परेषण ने के लिए जिसने वाली इकाई के का अनुज्ञप्तिधारी परिसर से, राज्य में जिए एतदद्वारा
विशेष मदिरा का प्रकार	बल्क लीटर	शक्ति	प्रूफ लीटर
(2)	(3)	(4)	(5)
			वाना हुआ।
	जारी करने वाले कार्या निर्यात करने वाले 3 परिवहन के दौरान परेष आबकारी आयुक्त द्व वाली इकाई के भारसाध आबकारी आयुक्त द्वा को भेज दिया जाए, वि के सत्यापन के लिए निर्यात अनुजापत्र जा भारसाधक अधिकारी के स्थित इकाई तक विशे हो यह अनुजापत्र	जारी करने वाले कार्यालय में रखा जाए। निर्यात करने वाले अनुजिप्तिधारी को परिवहन के दौरान परेषण के साथ रहेगा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रवि वाली इकाई के भारसाधक अधिकारी को आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रवि को भेज दिया जाए, जिसने आयात प्राप्ति के सत्यापन के लिए तथा उस अधिका निर्यात अनुजापत्र जारी किया है, अ भारसाधक अधिकारी को भेज देगा। को, जो स्थित अपने के स्थित इकाई तक विशेष मदिरा का निर्वा (निर्यात की जाने वाली विशेष मदिरा का विशेष मदिरा का प्रकार बल्क लीटर (2) (3)	जारी करने वाले कार्यालय में रखा जाए। निर्यात करने वाले अनुजन्तिधारी को सौंप दिया परिवहन के दौरान परेषण के साथ रहेगा तथा उसे 3 आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनु वाली इकाई के भारसाधक अधिकारी को भेज दिया ज आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुर को भेज दिया जाए, जिसने आयात प्राधिकृत किया के सत्यापन के लिए तथा उस अधिकारी को भेज निर्यात अनुजापत्र जारी किया है, आयात करने भारसाधक अधिकारी को भेज देगा। सथत अपने अनुजप्त के लिए तथा अपने अनुजप्त के लिया है। यह अनुजापत्र जारी किया है (निर्यात करने वे विधिमान्य र (निर्यात की जाने वाली विशेष मदिरा का विवरण) विशेष मदिरा का प्रकार बल्क लीटर शक्ति (2) (3) (4)

(मध्यप्रदेश)

प्ररूप एस.एल.5

(नियम 11 देखिए)

विशेष मदिरा के परिवहन हेतु अनापति प्रमाण-पत्र (तीन प्रतियों में)

क्र		दिनांक
भाग एक :	जारी करने वाले कार्यालय में अभिलेख हेत्	र रखे जाने हेल।
भाग-दो :	क्रेता अनुजिप्तधारी (विदेशी/विशेष संदिरा	
भाग तीन :	उस अधिकारी जो परिवहन अनुजा पत्र जा	
1	201 31144111 OIL 4144611 310J411 144 OIL	रा नर्गा, ना आगल्य ना स्टर्
प्रति,		
	भारसाधक अधिकारी,	
	एस.एल.१ अनुजन्ति,	
ž. V		
	श्री/मेसर्स	जो मध्यप्रदेश के
	जिले में स्थित विदेशी/वि	
्रए फ.एल.9/एफ	.एल.९ए/एस.एल.1) का धारक है, अपने अन्	
	नीछे दिए गए हैं, परिवहन करने का इच्छुक	
परिवहन फीस	के रूप में रुपयेचाला	न क्रमांक दिनांक
	द्वारा जमा कर दिए गए हैं।	
	शेष मदिरा, जिसके ब्यौरे पीछे दिये गये हैं,	की उक्त मात्रा के परिवहन के लिए
	। पत्र आपके द्वारा जारी किया जाता है, तो	
है. यह अनापत्ति	प्रमाण पत्र तक विधिव	मान्य रहेगा।
	V 1314	10-11
*); £]		
24	244	भारसाधक अधिकारी,
	वि वि	देशी/विशेष मदिरा ब्रिनिर्माण इकाई
		(4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.
		जिला
		(मध्यप्रदेश)
		3
	प्ररूप एस.एल.5 का पृष्ठ भ	
	(विशेष मदिरा, जिसके लिए	
	अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया	ह, क इयरि)
अनुक्रमांक	विशेष मदिरा के ब्योरे	बल्क लीटर
(1)	(2)	(3)
		2
9 1		आरसाधक अधिकारी,
N 8	विदे	शी/विशेष मदिरा विनिर्माण इकाई
6		
		जिला,

प्ररूप एस.एल.6 (नियम 11 देखिए) विशेष मदिरा परिवहन अनुजा पत्र (तीन प्रतियों में)

	sh	दिनांक
	भाग एकः	जारी करने वाले कार्यालय में रखे जाने हेतु।
	भाग-दो :	उस अनुजिष्तिधारी जो विशेष मदिरा का विदेशी/विशेष मदिरा विनिर्माण इकाई
		तक परिवहन करता है, के अभिलेख के लिए, ।
	भाग तीनः	यह भाग अभिवहन के दौरान परेषण (कन्साइनमेंट) को आवृत करेगा और
		भारसाधक अधिकारी, विदेशी/विशेष मदिरा विनिर्माण इकाई इस पर सत्यापन
		टीप अभिलिखित करने के पश्चात् इसे अपने कार्यालय के अभिलेख में रखेगा।
	एफ.एल.9/एफ. लीटर विशेष स्थित के लिए प्रदाव	भारसाधक अधिकारी, विदेशी/ विशेष मदिरा विनिर्माण इकाई द्वारा जारी किए प्रमाण-पत्र क्रमांक
	दिए हैं।	
		शर्ते
		अभिवहन में तोड़ा नहीं जाएगा औरसे होते हुए गंतव्य स्थान
		ने विशेष मदिरा जिसके ब्यौरे पीछे दिए गए है, के इकाई का अनुज्ञप्त परिसर आज दिनांक को बजे पूर्वाहन/अपराहन में छोड़ दिया है।
3	. यह अनुज्ञा विधिमान्य र	पत्र दिनांक बजे पूर्वाहन/अपराहन तक

दिनांक	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *				7,	-11		
	3 2	353		2 v	\$5 m ¹¹			6
	4				e xa		भारसाधक	अधिकारी
8		2.1				2	एस.एल.1	************
		1.5	4			15	A	***************************************
		2 2	a ^{El}		10)		3	१६यपटेश)

प्ररूप एस.एस. 6 का पृष्ठ भाग (इस परिवहन अनुजा पत्र के अधीन परिवहन की जा रही विशेष मदिरा के ब्योरे)

अनुक्रमांक	प्रकार	बल्क लीटर	शक्ति	प्रूफ लीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				107

9	ारसा	धक	अधिकारी
एस.एल.1	X 6 X X 1 4 3	i da wayayay	eleggieleggie
জি	ला	an'io e	********
	•		ाध्यप्रदेश)

प्ररूप एस.एत.7 [नियम 12 (2) देखिए] अनापति प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में)

乘	ি	नांक
भाग एक :	जारी करने वाले कार्यालय में अभिलेख के लिए रखे जाने	हेता
भाग दो :	आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से उ जाने हेतु जो परिवहन को प्राधिकृत करे ।	एउं स अधिकारी को भेजे
भाग तीन :	आवेदक को सौंप दिया जाए।	W s
प्रति,		2
	भारसाधक अधिकारी,	Fi .
24	डी-1 अनुज्ञप्ति,	
4	ਯਿਕਾ	4
8 g	***************************************	a j
विषय:-	विशेष मंदिरा विनिर्माण हेतु परिशोधित स्पिरिट/ई.एन.ए.	के परिवहन हैन
44 42 22	अनापति प्रमाण-पत्र।	
	श्री/मेसर्स	। मध्यप्रदेश के
*******************************	जिले के एस.एल1 अनुज्ञिन्तिधारी हैं, आपके	जिले के श्री/मेसर्स
	डी-1 अनुजप्तिधारी से	बल्क लीटर
पारशाधित सि	परिट/इ.एन.ए. परिवहन करने का आशय रखते हैं और उस	मात्रा पर परिवहन
फोस के रूप	प में रुपये चालान क्रमांक	
****************	के माध्यम से संदत्त कर दिए गए हैं। यदि उसके	लिए आपके दवारा
पारवहन अनुर	ना पत्र जारी किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आप	ति नहीं होगी। यह
अनापति प्रमाण	ग पत्र तक विधिमान्य होगा।	
दिनांक		
-1 /*		गरसाधक अधिकारी
	एस	.एल१ अनुज्ञप्ति,
		T
	e "I	(मध्यप्रदेश)

प्ररूप एस.एल.8 (नियम 12(3) तथा 4 देखिए) परिशोधित स्पिरिट/ई.एन.ए. परिवहन अनुजा-पत्र (चार प्रतियों में)

		(चार	प्रातया म)					
₹			ri ^a - g	दिन	कि			
भाग-एक	जारी करने	वाले कार्यालय में	रखे जाने हेतु	L a	8 -			
भागं-दो :		तिधारी के लिए य तत्पश्चात् अभिले			षण को आवृत्त			
भाग-तीन :	विक्रय अनुर	ाप्तिधारी के लिए	ria = la					
भाग-चार :	एस.एल. 1 अ	नुज्ञप्ति के भारर	नाधक अधिकारी	को प्रेषित करने	हेतु।			
यह परिवहन अनुजापत्र, श्री/मेसर्स एस.एल.1 अनुजप्तिधारी को इस इकाई (डी-1) से उनके/उसके अनुजप्त परिसर तक प्रूपः/ बल्क लीटर स्पिरेट का, जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिये गये हैं, परिवहन करने के लिए प्रदान किया जाता है। इस अनुजापत्र धारक ने परिवहन फीस के रूप में रूपये								
(जारी करने वा	ली स्पिरिट क	ग विवरण)	was and a port of the two	F				
टैंकर/ड्रम	की संख्या	बल्क लीटर	शक्ति	प्रूफ लीटर	अभ्युक्तियां			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
	100000000000000000000000000000000000000	15	1000					

शर्तें

1. परेषण (कन्साइनमेंट) परिवहन में तोड़ा नहीं जाएगा और से होते हुये गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा।

2.	टैंकर/वा	हन क्रमां	· 南	,,,,,,,,,	ने इ	स इका	ई (यूनिट) वे	अन्जप्त	परिसर	को
	ऊपर ्	अनुसूची	में दी	गई	मदिरा वै	र साथ	आज	***********	พระการเลสสกให้เกิดก	को
	**********	y dik kwajira kwa e e	बजे पृ	र्वाहन/अ	ापराहन में	छोड़ा।				
3.	यह अनु	जापत्र			ਰ	क विधि	मान्य होगा	I		
देनाक	month (e)	*******							2 19 12	ĝo ^N
	, a		* · ·			0 5		भारसाधक		
		6						51-1		
1	2 0						টি	ला		
		- 8		100				_ (मध्यप्रदेश	₹Г.)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025

क्र.—3—3—4—0011—2023—Sec—02—पाँच(CT)(15).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.—3—3—4—0011—2023—Sec—02—पाँच (CT)(15) दिनांक 14 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 14th February 2025

No.3-3-4-0011-2023-Sec-02-V (CT) (15).- In exercise of the powers conferred by subsection (1), clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following rules, namely:-

RULES

1. Short title, application and commencement.

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Special Liquor Rules, 2024.
- (2) These rules shall be applicable to manufacturing, blending, storage, import, export, transport and sale etc. of special liquor.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915);
 - (b) "Form" means Forms appended to these rules;
 - (c) "licensing authority" means the Excise Commissioner who shall issue the licence for Special Liquor;
 - (d) "No Objection Certificate" means a certificate issued by the competent authority that they have no objection after payment of necessary fee;

- (e) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
- (f) "Special Liquor" means high bouquet spirit, cane juice spirit, sherry, grape spirit, malt-spirit of varying strength, concentrated alcoholic brew, concentrated scotch, concentrated blend of any liquor and especially flavoured other spirits for the purpose of blending or reduction;
- (g) "State" means the State of Madhya Pradesh.
- (2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act, the Madhya Pradesh Distillery Rules, 1995 and the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996.

3. Grant of licence for manufacture of special liquor.

- (1) The licence shall be granted to the D-1 licencee of the State to store and blend special liquor separately in his/her distillery premises.
- (2) The person intending to set up and run a special liquor unit shall submit an application to the Excise Commissioner, giving all relevant details.
- (3) Along with the application form submitted under sub-rule (2), a receipt shall be submitted in proof thereof depositing the application fee at the prescribed rate as per serial number 1 of Schedule-A in the Cyber Treasury.
- (4) The plant and machinery and the map of the building shall be submitted to the Excise Commissioner.

- (5) If the Excise Commissioner is satisfied about the genuineness of the proposed scheme of the applicant, he may grant the licence.
- (6) The licence shall be issued by the Excise Commissioner as prescribed in Form S.L.1, the licence fee for which shall be at the prescribed rate as mentioned in serial number 2 of Schedule-A, which may be revised by the State Government, from time to time.
- (7) The S.L.1 licencee may import, export, transport and sell etc. special liquor.
- (8) The S.L.1 licencee shall use the special liquor for his own purpose or sell it to other special/foreign liquor manufacturing unit in quantity of 1000 bulk litres or more.
- (9) The period of this licence shall not exceed the period of the D-1 licence. The validity of this licence shall be linked to the validity of the D-1 licence i.e. in case the D-1 licence is suspended or cancelled, this licence shall automatically stand suspended or cancelled.

4. Procurement and storage of special liquor and Rectified Spirit/Extra Neutral Alcohol (E.N.A.).-

- (1) The S.L.1 licencee shall obtain the special liquor and Rectified Spirit/E.N.A. by import/transporting it as per the procedure prescribed in rule 7, 11 and 12 for preparing special liquor.
- (2) All spirit tanks and vessels shall be of such quality, size, shape and material, as may be approved by the

Excise Commissioner, they shall be properly gauged and their gauging table shall be prepared by an authorized Excise Officer or a competent officer of the Weights and Measures Department, licencee shall arrange for standardized scale (gauging rod) etc. and shall help in the gauging of above mentioned tanks and vessels. Use of ungauged tanks and vessels is completely prohibited.

- (3) On every tank or vessel its serial number, capacity and its uses shall be clearly mentioned with paint in English or Hindi language and its details shall be properly entered in the register by the officer-in-charge,
- (4) The storage tanks shall be kept in such a room or building which shall have only one door in addition to a breakable emergency exit. Such room or building shall be designated as the spirit room or warehouse and a revenue lock shall be used in it.

5. Quality Control.-

- (1) All spirits used in the manufacture of special liquor shall be of the standard and quality as prescribed or approved by the Excise Commissioner.
- (2) All containers for storing, blending and reducing spirit shall be kept clean. No ingredient which is injurious to health shall be used or added to the stored spirit. At the time of blending of spirit, its colouring, flavouring, aromatic and flavouring agents etc. shall be of good

- quality, fit for human consumption and shall not be harmful to health.
- (3) The licencee shall establish his own laboratory in the licenced premises. Such laboratory shall be well equipped and staffed by qualified technical persons and the expenditure incurred thereon shall be borne by the licencee. Samples of each batch of special liquor shall be tested in the laboratory and the test report shall be uploaded on the e-Abkari portal. Permission to release the batch shall be granted only when the sample of special liquor is found fit for human consumption. An attested photocopy of the report of each such chemical test shall be provided free of cost to the officer-in-charge. Samples shall be drawn under the supervision and presence of the officer-in-charge of the special liquor manufacturing unit,
- (4)(a) the officer-in-charge of the special liquor manufacturing unit may, until the order of the Excise Commissioner, stop the issue of such special liquor which he does not consider to be of good quality and may on every such occasion take samples of such special liquor for sending to the departmental laboratory or any other authorised laboratory for chemical examination or test at the expense of the licencee;
 - (b) the Excise Commissioner may also give directions regarding taking random samples of special liquor and the officer-in-charge shall take out the samples

- as per the directions given by the Excise Commissioner in this regard and send them for chemical test or examination to the departmental or authorized laboratory;
- (c) if the special liquor is found of substandard quality or unfit for human consumption on chemical test or examination, it shall be rejected and destroyed or disposed of in any other manner under the orders of the Excise Commissioner or an officer authorised by him for this purpose.

i. Sale of special liquor.-

- (1) S.L.1 licencee may sell the special liquor in quantities of 1000 bulk litres or more to other licencees within the State, in other States and outside the country as per the procedure prescribed by the Excise Commissioner.
- S.L.1 may be granted for a period of one year on payment of such licence fee as may be determined by the State Government, which may be revised, from time to time. This licence shall be subject to renewal every year on payment of such licence fee, as may be prescribed, subject to good conduct and clean record of the licensee and due compliance with the conditions of the licence, the provisions of the Act and the rules made thereunder. The period of this licence shall not exceed the period of D-1 licence. The validity of this licence shall be linked to the validity of D-1 licence i.e.

- in case of suspension or cancellation of D-1 licence, this licence shall stand suspended or cancelled automatically.
- (3) The licence in the Form S.L.l, shall be approved and issued by the Excise Commissioner, who is the licensing authority.
- (4) For the approval of licence in Form S.L.1, the application shall be submitted to the licensing authority, as mentioned in sub-rule (3) of rule 6, who, after making the necessary inquiry and following the prescribed procedure, may or may not grant the licence based on the suitability of the applicant.
- 7. Import of Special Liquor.- No special liquor shall be imported into Madhya Pradesh without pre-payment of fee, except under and in accordance with a No Objection Certificate and/or a permit to be obtained or issued under the procedure as described below, namely:-
 - (1) No Objection Certificate for the import of special liquor may be granted to F.L. 9/F.L. 9A/S.L.1 licencee on pre-payment of import fee at the prescribed rate as per serial number 3 of Schedule-A. No Objection Certificate shall be as prescribed in Form S.L.2.
 - (2) The Excise Commissioner or an officer authorized by him, may permit the import of special liquor to any licencee from other State of India/outside of India subject to prior payment of the import fee at the prescribed rate as per serial number 3 of Schedule-A.

- (3) The importer shall apply to the Excise Commissioner or Collector or the authorised Excise Officer of the importing district. The relevant details i.e. the name, address of the importer and his agent at the place of export, quantity, description and alcoholic strength of the special liquor, the purpose of import, the unit whence it shall be imported, the location of his licenced premises whereto the imported special liquor shall be transported, etc. shall be given in the application.
- (4) The importer shall attach with his application the receipt showing pre-payment of import fee to the Cyber Treasury at the prescribed rate as per serial number 3 of Schedule-A.
- (5) The Excise Commissioner or Collector or the authorized Excise Officer of the importing district, may, after making necessary enquiries and satisfying himself that there is no objection to the issuance of the certificate, may grant and issue No Objection Certificate as prescribed in Form S.L.2, as the case may be.
- (6) The No Objection Certificate granted under sub-rule (5) shall be in triplicate, Part-I shall be retained in the issuing office, Part-II shall be sent to the officer, who authorise the export, through the procedure prescribed by the Excise Commissioner and Part-III shall be handed over to the applicant.

(7) All import shall be done on the authority of a valid export pass granted by the competent authority of the exporting district. All the terms and conditions of such export pass shall be strictly adhered to, by the importer.

8. Intimation of arrival of the consignment,

- (1) As soon as the consignment of special liquor covered by the No Objection Certificate and permit reaches the licenced premises, the consignee shall immediately inform the Assistant Excise Commissioner/ District Excise Officer, as per the procedure prescribed by the Excise Commissioner.
- On receipt of such intimation, the Assistant Excise (2)Commissioner/ District Excise Officer shall depute an Excise Officer not below the rank of Sub-Inspector for verification of the consignment. The Excise Officer, thus deputed, shall carry out the verification, make necessary entries in the permit issued by the exporting State and enter the details of the quantity received in the records and registers maintained by the licencee. He shall prepare and send a verification report to the Assistant Excise Commissioner/ District Officer, who shall forward it to the authority who issued the export permit as per the procedure prescribed by the Excise Commissioner.
- (3) The verification must be completed within twenty-four hours of such intimation received online or in writing. Cases of discrepancies must be intimated to the

- concerned Assistant Excise Commissioner/ District Excise Officer at once.
- (4) If the consignment is not verified by any excise officer within twenty-four hours of the online/written intimation, the importer shall open the consignment, verify the quantity and other details and record the statements/details in the prescribed registers and on e-Abkari portal.
- (5) The consignment shall be brought intact to the licenced premises through the route mentioned in the export permit without unloading the same at any place other than the place of destination.

9. Export of special liquor.-

- (1) Only S.L.1 licencee shall be permitted to export the special liquor and the export of special liquor by the licencee shall be in accordance with the procedure prescribed by the Excise Commissioner, from time to time.
- (2) The exporter shall make advance payment of export fee at the prescribed rate as per serial number 4 of Schedule-A in Cyber Treasury.
- (3) The exporter shall deposit an amount as determined by the Excise Commissioner at the prescribed rate as per serial number 6 of Schedule-A on the full quantity of special liquor to be exported or furnish a bank guarantee for an equal amount from a local branch of a nationalized/scheduled bank or execute a bond with adequate solvent sureties for the amount as mentioned

- in Form S.L.3. After receipt of verification report in respect of the dispatched consignment from the officer-in-charge of the importing unit, second consignment of special liquor involving the same or lesser amount of duty may be exported on the strength of the same cash deposit or bank guarantee or bond.
- (4) An application for the grant of export permit shall be made to the Collector or authorized Excise Officer of the exporting district or any other Officer specially authorized by the Excise Commissioner. The necessary details i.e. the name, address of the exporter and his agent at the place of import, quantity, description and alcoholic strength of the special liquor, the purpose of export the unit whereto it shall be exported, must be mentioned in the application. The exporter shall also attach to his application, a No Objection Certificate or an import pass or permit issued by the authorized Excise authority of the importing district.
- (5) On receipt of application under sub-rule (4), the collector or authorized Excise Officer shall make necessary enquiries. If he finds that the conditions laid down in sub-rule (3) and (4) have been satisfactorily complied with and is of the opinion that there is no objection to the issuance of the export permit, he shall issue the permit, as prescribed in Form S.L.4.
- (6) The export permit in Form S.L.4 shall be in quadruplicate. The first part shall be retained in the issuing office, the second part shall be handed over to

- the exporter which shall cover the consignment in transit, the third and fourth parts shall be sent to the officer-in-charge of the importing unit and the officer who has authorized the import respectively, as per the procedure prescribed by the Excise Commissioner.
- (7) In case of export of special liquor outside India, the exporter shall apply to the Excise Commissioner through the Collector or authorized Excise Officer of the exporting district. The application should contain relevant details i.e. name of the consignor, name of the consignee, quantity, type and alcoholic strength of the special liquor, export route and check post of issue of special liquor from the State/Country. Purchase order/demand letter of the unit of the importing Country (including name, address, telephone number and e-mail address of the unit), proforma invoice, packing list, certificate of importer-exporter code issued by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, etc.
- 10. Securing the verification report. The exporter licencee shall obtain a verification report from the officer-in-charge of the importing unit and submit such report to the authority by whom the export permit has been issued within 3 days of the receipt of the report or 25 days from the expiry of the permit period, whichever is earlier. If the exporter fails to do so, the duty leviable on exported special liquor shall be recovered from the amount deposited, bank guarantee furnished or bond executed, as mentioned in

sub-rule (3) of rule 9. This shall be in addition to any other penalty that may be imposed under rule 16:

Provided that in case the verification report is submitted after the stipulated time period of 25 days, the recovered duty shall be refunded to the exporter after due verification. In case the consignment is seized by any authority in route and it does not reach the destination, the leviable duty shall not be recovered:

Provided further that if the special liquor is exported to another country, the licencee who export the special liquor shall furnish documentary evidence that the consignment has actually left the country.

Procedure for the transportation of Special Liquor, E.N.A., etc.- The S.L.1 licencee may transport special liquor within the State for any other foreign/special liquor manufacturing unit. For this purpose, the licencee of foreign/special liquor manufacturing unit shall deposit transport fee at the prescribed rate as mentioned in serial number 5 of Schedule-A in his/her District and obtain a No Objection Certificate as prescribed in Form S.L.5 from the officer-in-charge of the foreign/special liquor manufacturing unit. The no objection certificate as prescribed in Form S.L.5 shall be invariably obtained even if the licenced premises of the licencee, transporting special liquor and the premises of foreign/special liquor manufacturing unit are situated at the same headquarters or in the same city or district. Transport permit as prescribed in S.L.6 for the quantity mentioned in the No Objection Certificate as

prescribed in Form S.L.5 shall be issued by the officer-incharge of the S.L.1 licence:

Provided that the S.L.1 licencee shall also deposit an amount determined by the Excise Commissioner at the prescribed rate as per serial number 6 of Schedule-A on the full quantity of special liquor to be transported or furnish a bank guarantee for an equal amount from a local branch of a nationalized/scheduled bank or execute a bond with adequate solvent sureties for the amount as prescribed in Form S.L.3. After receipt of verification report in respect of the consignment, sent from the officer-in-charge of the foreign/special liquor manufacturing unit. further consignment of special liquor involving the same or lesser quantity of duty may be transported on the strength of the same cash deposit or bank guarantee or bond:

Provided further that the S.L.1 licencee shall obtain the verification report from the officer-in-charge of the foreign/special liquor manufacturing unit and shall submit the same within 3 days of the receipt of such report or within 25 days of the expiry of the period of permit, whichever is earlier, to the authority by which the transport permit has been issued. If the licencee fails to do so, the duty leviable on the special liquor transported shall be recovered from the amount deposited, bank guarantee furnished or security bond executed by him, this shall be in addition to any other penalty that may be imposed under rule 16.

- 12. Procurement of rectified spirit/ E.N.A. for manufacturing of special liquors.-
 - (1) Transport of rectified spirit or E.N.A, from D-1 licencee by S.L.1 licencee for manufacture of special liquor may be done as per the procedure prescribed by the Excise Commissioner.
 - (2) The officer-in-charge of the supplier D-1 licence shall obtain No Objection Certificate as prescribed in Form S.L.7 from the officer-in-charge of S.L.1 licence.
 - (3) Every such application for transport of rectified spirit or E.N.A. within D-1 premises shall be accompanied by a challan indicating that the S.L.1 licencee has deposited the transport fee in the Cyber Treasury at the prescribed rate as per serial number 7 of the Schedule-A and shall transport the rectified spirit/ E.N.A. within his licenced premises after obtaining a transport permit as prescribed in Form S.L.8 from the officer-in-charge of D-1 licence.
 - (4) Any S.L.1 licencee who intends to transport rectified spirit/ E.N.A. from another D-1 licencee shall deposit transport fee at the prescribed rate as per serial number 8 of the Schedule-A in his District and shall transport the rectified spirit/ E.N.A. within his licenced premises after obtaining a transport permit as prescribed in Form S.L.8 from the officer-in-charge of D-1 licence.
- 13. Permissible limits of losses. For S.L.1 licencee, exemption from wastage on special liquor and rectified spirit/ E.N.A.

transported shall be the same as mentioned in sub-rule (4) of rule 6 of the Madhya Pradesh Distillery Rules, 1995.

14. Losses in storage, raking and reduction. The maximum permissible losses of special liquor and rectified spirit/ E.N.A. due to racking, storage, evaporation, reduction, blending etc. for a S.L.1 licencee shall be as specified in sub-rule (2) of rule 6 of the Madhya Pradesh Distillery Rules, 1995.

15. Miscellaneous.-

- (1) No duty, tax, fee or levy shall be payable on special liquor exported to any other country.
- (2) All export, import and transport of special liquor shall be carried out at the expense and risk of the licencee. No duty, import fee, export fee or transport fee shall be refundable on the basis of loss suffered by the licencee.
- (3) The exporter or transporter shall strictly follow the route specified in the export or transport permit which shall invariably accompany the consignment. The consignment shall be taken intact directly to the destination within the validity period of the permit and under no circumstances it shall be broken, unloaded or disposed of during transit.
- (4) After the expiry or cancellation of the licence as prescribed in Form S.L.1, the licencee shall place the entire stock of spirit or special liquor or both, as the case may be, under the control of the Assistant Excise Commissioner/District Excise Officer. The former licencee may be permitted to dispose of such balances

within 30 days of such expiry or cancellation, to any other licencee to whom it may be sold. If he is unable to dispose of such balances in the aforesaid manner and within the prescribed time period, the Excise Commissioner, may ask any other licencee of the State who is permitted under the rules to purchase such balance, to buy all or part of such balance at a rate fixed by him or give any other directions about their disposal, including their destruction.

- (5) The licencee shall be bound by the orders/directions issued by the Excise Commissioner, from time to time.
- (6) Every licencee under these rules shall keep his/her stock of special liquor and rectified spirit/E.N.A. only on the premises specified in his/her licence.
- (7) The application fee, licence fee, import fee, export fee, transport fee and duty etc. payable under these rules shall be, as prescribed by the State Government through notification, issued from time to time.
- (8) Duty, transport fee, import fee, export fee shall be deposited in the district in which the licenced premises of the licencee transporting, importing or exporting special liquor is situated.
- (9) It shall be lawful for the licencing authority to impose such reasonable additional conditions on any licencee as he deems proper, to insure compliance of the provisions of the Act, rules or conditions of the licence.
- (10) The Excise Commissioner shall have the power to cancel this licence for contravention of any condition of

this licence or any provision of the Act or any rule made thereunder or any order issued by the Excise Commissioner.

(11) If the holder of the licence granted by a licencing authority under these rules is convicted of any offence under the said Act or of breach of any rules or conditions of the licence, the licencing authority on the proposal of the Assistant Excise Commissioner/District Excise Officer or any officer authorised by him in this behalf, may suspend or cancel the licence under the provisions of section 31 of the Act, after hearing the licencee.

16. Penalties .-

- (1) The Excise Commissioner may impose a penalty not exceeding Rs.2,00,000 (Rupees Two Lakh) for the contravention of provision of these rules or the Act or any order/directions issued by the Excise Commissioner.
- (2) For all shortages in excess of the limits permitted under rule 13 and 14, the licencee of S.L.I shall be liable to pay such penalty, as may be imposed by the Excise Commissioner or any other officer authorised by him, at a rate not exceeding the rate of duty for the time being payable on country liquor:

Provided that the Excise Commissioner or the authorised officer may waive the penalty imposed under this sub-rule, if it is proved to the satisfaction of the Excise Commissioner or the authorised officer that

such shortage or loss was caused by certain unavoidable causes such as fire or accident and a First Information Report was lodged in the concerned Police Station or an information application was given for lodging a First Information Report in the concerned Police Station and the acknowledgement copy thereof or an acknowledgement copy of the information application given to the Excise Sub-Inspector or the District Excise Officer of the concerned area.

- (3) The Excise Commissioner may suspend or cancel the licence under section 31 of the Act for the contravention of any rule of these rules or any provision of the Act or any other rules made under the Act or any order issued by the Excise Commissioner.
- 17. Procedures of e-Abkari system. On implementation of the e-Abkari system, its procedures shall be effective in place of the corresponding procedures defined under these rules and the procedures of the e-Abkari system as determined by the Excise Commissioner shall be construed as the rules made under these rules.

Schedule-A
Prescribed rates of fee/duty for various heads under the
Madhya Pradesh Special Liquor Rules, 2024

S. No.	Head	Prescribed Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Application fee for S.L.1 licence	Rs. 10,000/-
2.	Licence fee for S.L.1 licence	Rs. 2,00,000/- per annum
3.	Fee for import of special liquor	Rs. 8/- per bulk litre
4.	Fee for export of special liquor	Rs. 0.50/- per bulk litre
5.	Fee for transportation of special liquor	
6.	Duty for transportation/export of special liquor	Amount/security, equivalent to 5% of the duty rate of country liquor per proof litre
7.	Transport fee when S.L.1 licencee obtains rectified spirit/E.N.A. from D-1 situated in the same premises	Rs. 1/- per bulk litre
8.	Transport fee when S.L.1 licencee obtains rectified spirit/E.N.A. from any other D-1 licencee	Rs. 3/- per bulk litre

[see rule 3 (6)]

Licence for manufacturing, blending, storage, import, export, transport and sale of special liquor

Under sub-rule (6) of rule 3 of the Madhya Pradesh
Special Liquor Rules, 2024 and in consideration of licence fee of
Rs which has already been paid, this licence is
hereby granted to Shri/M/s D-1
licencee for manufacturing, blending, storage, import, export,
transport and sale of special liquor at the premises described in
the Schedule below and situated in place of
District from to subject
to the following conditions, namely:-

CONDITIONS

- 1. This licence shall be granted only to D-1 licencee.
- 2. The period of this licence shall not exceed the period of the D-1 licence i.e. in case the D-1 licence is suspended or cancelled, this licence shall automatically stand suspended or cancelled.
- 3. To obtain this licence, the D-1 licencee shall have to make separate arrangement for storage and blending of the special liquor, in the distillery premises.
- 4. Use of special liquor for self or for sale to other licencees shall be permitted only in the quantity of 1000 bulk litres or more.
- All operations related to manufacturing and filling of special liquor shall be conducted at the licenced premises situated

- at as per the map and plan approved by the Excise Commissioner and enclosed with the licence.
- 6. The licencee shall pay duty/fee on Special Liquor and Rectified Spirit/E.N.A. at the prescribed rate.
- 7. The licencee shall not effect operations of manufacturing and filling of special liquor without prior notice, incorporating the relevant details to the officer-in-charge.
- 8. The licencee shall not use any ingredient deleterious or injurious to health in the manufacturing of special liquor.
- 9. The licencee shall maintain day-to-day true account of special liquor manufactured and sold.
- 10. On breach of any condition of this licence or any provision of the Act or rules made thereunder or order/instructions issued by the Excise Commissioner, the licence may be cancelled or suspended by the licensing authority.

Excise Commissioner, Madhya Pradesh

SCHEDULE

Description	Boundaries of the licenced premises					
of site	North	East	South	West		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
				1		

[see rule 7(1)]

No Objection Certificate for import of special liquor

Part-I:	To be retained in the issuing office.
Part-II:	
· · · · · · ·	through the procedure prescribed by the Excise
	Commissioner.
Part-III	To be handed over to the applicant.
ŽI)	
To,	
	, management and the second second
12/	***************************************
Subject:	No Objection Certificate for import of special liquor
	after payment of fee.
4.0	XX
Shri	/M/sholder of F.L.9/
	L.1 licence of District, Madhya Pradesh, import bulk litres of special liquor
	i/M/s, holder of special
This office	ance and has paid Rs by challan no. dated as import fee on the quantity. has no objection if an export permit is issued by you
for the sa	me. This no objection certificate shall be valid upto
	Authorized Officer
	விக்கிற நில்லக்கும் என கூடிக்குக்கும் என என நடித்த நடி
	(Madhya Pradesh)

[see rule 9 (3) and 11]

BOND

	BOND
Forn	n of bond to be executed on the removal of special liquo
	from the licenced premises of S.L.1 licence at
	for export/transport in bond.
	I/We, (hereinafter referred to as the

licencee) have been permitted under rule 9 or 11 of the Madhya Pradesh Special Liquor Rules, 2024 to export/transport special liquor in bond in accordance with terms and conditions of the export/transport permit within the stipulated time.

Place: Date:

(Signature)
Licencee

(1) The licencee shall not export/transport at any one time any quantity of special liquor on which the total duty payable at any time at the prescribed rates exceeds its value.

The licencee shall deliver the special liquor to the officer-in-(2)charge of the destination place during the period of validity mentioned in the export/transport permit, failing which he shall pay duty at the prescribed rate to the Governor of Madhya Pradesh on the quantity of special liquor not delivered. This shall be in addition to any other penalty imposed on him under the provisions of the Act and the rules made thereunder.

					10			
Signature in the presence of		Assistant Excise Commissioner						
Witness-1:								e Officer,
Signature:			0	n behal	f of the (Distri Govern	ct nor o	f Madhya
Address:								Pradesh
The state of the s								
Witness-2:		1 12						- 2
Signature:							11	
Name Address								
্ত কুমানিক কুমি নিজি টু কুমান করাৰ ক্ষম করা; তি কুম্বানিক কুমি নিজি টু কুমান করাৰ ক্ষম করা;		AT 2						2 15
စ်.၈ စစ်စ စစ် စစားစု ရပ် စစ္ဆားစုရှိ ရှားရှိခဲ့သွားနှင့်မြော့		± 27			5			
Place:		e - 1		75.0				
Date		G						

[see rule 9 (5) and (6)]

Permit for export of special liquor under bond

	中中中地震的 新香 美女子	= " "	Date	e e e est estadistripa e e
Part-I:	To be retained in th	ie issuing of	fice.	
Part-II:		to the expo	rting licenc	
Part-III	To be sent to the of as per the proce Commissioner.			
Part-IV	To be sent to the off per the procedu Commissioner, who	re prescri	bed by to the offic	the Exc er-in-cha
	consignment and or the export permit.			
123	Shri/M/s		1	licencee
S. I. T. i	s hereby permitted to			
	premises at			
	18. ************************************			
	te			
	, 60			
S.No.	(Details of special :	liquor to be	exported)	Proof
	Type of special liquor	Bulk litre	Strength	litre
S.No.				
	Type of special liquor	Bulk litre	Strength	litre
(1)	Type of special liquor	Bulk litre (3)	Strength (4)	litre (5)
(1) Ve	Type of special liquor (2) chicle number	Bulk litre (3)	(4)	litre (5) onsignme
Vo	(2) chicle numbered off from the licensed	Bulk litre (3)	(4)	litre (5) onsignme
Votas start	(2) chicle numbered off from the licensed	Bulk litre (3)	(4)	litre (5) onsignme
Votas start	(2) chicle numbered off from the licensed	Bulk litre (3)	(4)	litre (5) onsignme
Votas start	(2) chicle numbered off from the licensed	Bulk litre (3)w d premises a	(4) ith the coat	iitre (5) onsignme AM/P
Votas start	(2) chicle numbered off from the licensed	Bulk litre (3)	ith the co	iitre (5) onsignme AM/P
Votas start	(2) chicle numbered off from the licensed	(3) Or S.L.	ith the co	itre (5) ensignme AM/P
Votas start	(2) chicle numbered off from the licensed	(3) O: S.L. Distr	ith the co	iitre (5) onsignme AM/P

(see rule 11)

No objection certificate for transport of Special Liquor (in triplicate)

. No	*********	Date
Part-I: Part-II:	To be retained in the issuing offi To be given to the purchasing li liquor manufacturing unit).	
Part-III:	For the officer, who shall issue his record.	e transport permit, for
	in-charge, icence,	
		* .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	M/s	holder of
the transpreverse is	deposited Rs	rict as transport fee. transport permit, for al liquor given on the
	Forei Mai	fficer-in-charge, gn/Special Liquor nufacturing Unit
* * * * *		trict adhya Pradesh)
	Back side of Form S	
etails of	the special liquor for whic issued)	h this NOC has bee
S. No.	Details of special liquo	r Bulk litre
(1)	(2)	(3)
and the same of th		

Form S.L.6 (see rule 11) Special Liquor Transport Permit (In triplicate)

Part-II: To be retained in the issuing office. Part-III: For the licencee, transporting special liquor to the foreign/special liquor manufacturing unit, for his record. Part-III: This part shall cover the consignment during the transit and the officer-in-charge, foreign/special liquor manufacturing unit after recording verification note on it, keep it in his office records. Against the No Objection Certificate number dated issued by the officer-in-charge of foreign/special liquor manufacturing unit, this transport permit is granted to Shri/M/s help foreign proof/bulk litres of special liquor, details whereof are given overleaf from his/their licenced premises at the foreign liquor/special liquor manufacturing unit to foreign liquor/special liquor manufacturing unit manufacturing unit to by challan number district. CONDITIONS 1. The consignment shall not be broken in transit and shall be routed to the destination via cated to the destination via to the destination via to the detailed overleaf at the licenced premises of this unit with special liquor detailed overleaf at the liquor detailed overleaf	E SH	Date
dated	Part-II:	For the licencee, transporting special liquor to the foreign/special liquor manufacturing unit, for his record. This part shall cover the consignment during the transit and the officer-in-charge, foreign/ special liquor manufacturing unit after recording verification note on
1. The consignment shall not be broken in transit and shall be routed	foreign/sp is grante F.L.9/F.L. litres of s his/their foreign	issued by the officer-in-charge of pecial liquor manufacturing unit, this transport permit of to Shri/M/s, holding .9A/S.L.1 licence to transport
1. The consignment shall not be broken in transit and shall be routed		CONDITIONS
Officer-in-charge S.L.1 District	2. Vehicle of thi	to the destination via e number
Officer-in-charge S.L.1 District		
S.L.1		********
		S.L.1 District

Back side of Form S.L.6 (Details of the special liquor being transported under this transport permit)

S.No.	Type	Bulk litre	Strength	Proof litre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

FORM S.L.7

[see rule 12 (2)] No Objection Certificate (in triplicate)

No	Date
Commissioner.	fficer, who authorise transport are prescribed by the Excise
Part-III: To be handed over to the	le applicant.
То,	
The Officer-in-charge, D-1 Licence, District	
李章中的人,只有一个一个一个人,我们就是我们的人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个一个	•••
Shri/M/s	facture of special liquor, SL-1 District of Madhya Pradesh.
and the transport fee of Rs on that quantity through challa	. from Shri/ M/s D-1 licencee of your District
dated	sport permit is issued by you for no objection. This no objection.
Date:	
	\$1
A STATE OF THE STA	Officer-in-charge
	S.L.1 Licence,

(Madhya Pradesh)

[see rule 12 (3) and (4)]

Rectified Spirit/E.N.A. Transport Permit

(in quadruplicate)

No	ing State of	Date
Part-I	*	To be retained in the issuing office.
Part-II		For purchasing licencee. This part shall cover the
		consignment during transit and thereafter shall
		be kept in records.
Part-III	50 #	For the selling licencee,
Part-IV	:	To be sent to the officer-in-charge of S.L.1 licence.
This	s tr	cansport permit is granted to Shri/M/s
	Patriologija u g	
this unit	(D-1)) proof/bulk litres of
spirit, de	tailec	I in the Schedule below, to his licensed premises
at/in	Taken disk pip	
estable of the second of	4 - 4 - 4 - 4	as transport fee by challan number
		in district.
(1)	1.00	

SCHEDULE Details of issued spirit

		litre	
(2)	(3)	(4)	(5)
	(2)	(2) (3)	(0)

CONDITIONS

1.	The consignment shall not be broken in transit and shall be
	routed to the destination via
2.	Tanker/Vehicle numberhas left the licenced
	premises of this unit with spirit given in the above Schedule
	at
3.	This permit shall be valid upto
Date	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Officer-in-charge D-1 District

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, VANDANA SHARMA Dy. Secy.